तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री नरसिंह पुत्र बिहारीलाल राजपुरोहित, गांव पुराड़ा, पोस्ट पोमावा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर प्रथम सूचना अपील संख्या :– 106 / 2022 जीसीएमएस नं. :– 2022 / 451 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

–: **निर्णय** :–

22.08.2024

1. पत्रावली आज पेश हुई।
2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर से चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।
3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर ने इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, सुमेरपुर से संबंधित होने के कारण आर टी आई की धारा 6(3) के तहत उनके कार्यालय के पत्र द्वारा विकास अधिकारी, सुमेरपुर को निर्धारित समयावधि में हस्तानान्तरण करते हुए वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, सुमेरपुर को निर्धारित समयावधि में स्थानान्तरित कर दिया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, सुमेरपुर को आवेदन पत्र का निस्तारण करना चाहिए।
5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, सुमेरपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार 15 दिवस में निस्तारण करे।

6. निर्णय आज दिनांक **22.08.2024** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो।

(एल.एन. मंत्री)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली

Scanned with ACE Scanner